न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 42/2018 अपील (GCMS 2018/00047)
पंजीयन दिनांक- 27/03/2018
निर्णय दिनांक- 18/09/2023

1. श्री भेरा पिता गांगा डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर मृतक के बजायः-
    1. श्री देवीलाल पिता स्व. भेरा डांगी, निवासी भल्लों का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
    2. श्री नाथुलाल पिता स्व. भेरा डांगी, निवासी भल्लों का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री धन्ना पिता गांगा डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर मृतक के बजायः-
    1. श्री जगदीश पिता स्व. धन्ना डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
    2. श्रीमती दलु बेवा स्व. धन्ना डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री धर्मा पिता गांगा डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती लोगरी पत्नि श्री गणेश डांगी, निवासी भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

-अपीलांट्स

बनाम

1. श्री अनिल शर्मा पिता सतीशचन्द्र ब्राहमण, मृतक के बजायः-
    1. श्रीमती शालिनी पत्नि स्व. अनिल शर्मा, निवासी उदयपुर, हाल निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
    2. सुश्री आकांशा शर्मा पुत्री स्व. अनिल शर्मा, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

3. सुश्री अदिती शर्मा पुत्री स्व. अनिल शर्मा, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री आर्यन शर्मा पुत्र स्व. अनिल शर्मा, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1.	श्री खेमराज	अधिवक्ता अपीलांट्स
2.	श्री अनुराग शर्मा	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 के वारिस
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2

अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 11/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2017

निर्णय

दिनांक 18/09/2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 11/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध दिनांक 27.03.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट/अपीलांट अनिल शर्मा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामांतरकरण संख्या 180 निर्णय दिनांक 31.01.1967 ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा, तहसील, गिर्वा, जिला उदयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छोटा भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में रेस्पोडेंट अनिल शर्मा की कृषि भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 1854, 1855, 1857, 1858, 1860 से 1862 कुल किता 07 रकबा 1.3400 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1296 से 1300

है। उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट अनिल शर्मा के पूर्वजों की है तथा राजस्व रेकार्ड में भी जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तथा उसके बाद की जमाबंदी में भी श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मतराम व रेस्पोडेंट अनिल शर्मा के पिता श्री सतीशचन्द्र के नाम से 1/2-1/2 भाग दर्ज चली आ रही है, श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मतराम ने अपना हिस्सा अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 4 श्री भेरा व अन्य के पूर्वहिताधिकारियों को विक्रय कर दिया लेकिन नामांतरकरण खोलते समय ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा ने रेस्पोडेंट अनिल शर्मा के पिता सतीशचन्द्र शर्मा का 1/2 हिस्सा भी अपीलांट्स/रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 4 श्री भेरा व अन्य के पूर्वहिताधिकारियों के नाम से दर्ज कर दिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 11/2004 निर्णय दिनांक 15.06.2017 से रेस्पोडेंट/अपीलांट अनिल शर्मा की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा का नामांतरकरण संख्या 180 दिनांक 31.01.1967 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया जाने से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः- *" अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा का नामांतरकरण संख्या 180 दिनांक 31.01.1967 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलंट या उसके पूर्वाधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारी को भूमि का बेचान किया गया अथवा नहीं तथा उभयपक्ष को सुनकर पुनः नये सिरे से नामांतरकरण स्वीकृत करें।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 के वारिस ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की

ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.09.2023 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि कथित नामांतरकरण तारीख 31.01.1967 के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने 47 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है, जो मयाद बाहर है तथा इतने लम्बे समय को कण्डोन करने को काई कारण नहीं बताया है। मयाद कण्डोन के प्रार्थना का जवाब भी अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मयाद के बिन्दु को तय किये बिना कथित निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सूचना दिये व बिना सुने कथित निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मौतबिरान को पुछताछ करना अंकित किया है, जो भी गलत है। किसी भी मौतबिर के नाम पते निर्णय में अंकित नही किये है तथा अपीलांट्स को नहीं सुना गया है, न अपीलांट्स से कोई पुछताछ ही की गई है। नामांतरकरण 180 से विवादित भूमि सुंदरबाई के बजाय मोडीदास वैरागी के नाम खोला जाकर स्वीकृत किया गया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की है, लेकिन इसके बाद जिनको विक्रय की है, उनको व उनके वारिसान का पक्षकार नहीं बनाया है, जो की आवश्यक पक्षकार है उन्हे पक्षकार बनाये बिना नामांतरकरण नम्बर 180 निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स संख्या 1 के वारिस ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि ग्राम छोटा भल्लों का गुड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में रेस्पोडेंट्स की कृषि भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 1854, 1855, 1857, 1858, 1860 से 1862 कुल किता 7 रकबा 1.3400 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1296 से 1300 है। उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों की है तथा राजस्व रेकार्ड में भी जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तथा उसके बाद

की जमाबंदी में भी श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मतराम व रेस्पोडेंट्स के पिता श्री सतीशचन्द्र के नाम से 1/2-1/2 भाग दर्ज चली आ रही है, श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मतराम ने अपना हिस्सा अपीलांट्स के पूर्वहिताधिकारियों को विक्रय कर दिया लेकिन नामांतरकरण खोलते समय ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा ने रेस्पोडेंट्स के पिता सतीशचन्द्र शर्मा का 1/2 हिस्सा भी अपीलांट्स के पूर्वहिताधिकारियों के नाम से दर्ज कर दिया। उक्त नामांतरकरण अवैध व शुन्य है। अतः उक्त अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया। जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तक विक्रयशुदा भूमि श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्मतराम व सतीशचन्द्र पिता हिम्मतराम के नाम से दर्ज थी जिसमें श्रीमती सुंदरबाई ने अपना हिस्सा बिकाव किया था, लेकिन ग्राम पंचायत ने श्री सतीशचन्द्र के हिस्से का भी बिकाव के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक कर दिया जिससे उक्त नामांतरकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 15.06.2017 से उचित निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 15.06.2017 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2017 की अपील अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27.03.2018 को पेश की है, परंतु न्यायहित में अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र एवं अखिण्डत शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा दिनांक 28.03.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्दा दीवानी मय दस्तावेज पेश किये गये। प्रार्थना पत्र के साथ

दस्तावेज प्रकरण से संबंधित एवं राजकीय दस्तावेज होने से रेकार्ड पर रखे जानी की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

- अब हम अपील में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से प्रकरण में यह सुस्पष्ट है रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, गिर्वा में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामांतरकरण संख्या 180 निर्णय दिनांक 31.01.1967 ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा, तहसील, गिर्वा, जिला उदयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 11/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2017 से रेस्पोडेंट अनिल शर्मा की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा का नामांतरकरण संख्या 180 दिनांक 31.01.1967 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित किया जाने से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 1854, 1855, 1857, 1858, 1860 से 1822 कुल किता 7 रकबा 1.3400 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा था। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1296 से 1300 है। उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेंट अनिल शर्मा के पूर्वजों की थी तथा राजस्व रेकार्ड में भी जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तथा उसके बाद की जमाबंदी में भी श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मतराम व रेस्पोडेंट अनिल शर्मा के पिता श्री सतीशचन्द्र के नाम से 1/2-1/2 भाग दर्ज चली आ रही थी। श्रीमती सुंदर बाई पत्नि श्री हिम्मतराम ने अपना हिस्सा अपीलांट्स संख्या 1 से 4 श्री भेरा व अन्य के पूर्वहिताधिकारियों को विक्रय कर दिया था। ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा ने नामांतरकरण खोलते समय अनिल शर्मा के पिता सतीशचन्द्र शर्मा का 1/2 हिस्सा भी अपीलांट्स संख्या 1 से 4 श्री भेरा व अन्य के पूर्वहिताधिकारियों के नाम से दर्ज कर दिया।

- प्रकरण में स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम भल्लों का गुडा के साबिक आराजी नम्बर 1296 से 1300 किता 5 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा हाल खसरा

नम्बर 1854, 1855, 1857, 1858, 1860 से 1862 किता 07 रकबा 1.3400 हैक्टेयर श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्मतराम व श्री सतीशचन्द्र ब्राह्मण 1/2-1/2 के खातेदार थे। श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्मतराम द्वारा अपना 1/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा अर्थात 0.677 हैक्टेयर हिस्सा जरिये विक्रय पत्र से श्री मोडीदास पिता रतन दास को विक्रय किया तत्पश्चात भेरा पिता गांगा डांगी ने दिनांक 15.01.1968 को मोडीदास से क्रय कर खातेदार थे, जो अीलांट्स है। उक्त आराजीयात का शेष 1/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा अर्थात 0.6700 हैक्टेयर हिस्सा श्री सतीशचन्द्र के खाते यथावत दर्ज रहा है, जो की श्री अनिल शर्मा रेस्पोडेंट के पिता थे।

- प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भल्लों का गुड़ा द्वारा वर्णित आराजीयात का नामांतरकरण 180 दिनांक 31.01.1967 दर्ज करते समय नामांतरकरण में श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्मतराम 1/2 हिस्से के साथ श्री सतीशचन्द्र ब्राह्मण का 1/2 हिस्सा भी दर्ज कर दिया गया था, जबकि श्रीमती सुंदरबाई पत्नि हिम्मतराम द्वारा 1/2 विक्रय पत्र से श्री मोडीराम पिता रतन दास को विक्रय किया तत्पश्चात भेरा पिता गांगा डांगी ने दिनांक 15.01.1968 को मोडीदास से क्रय किया गया था उसी हिस्से का नामांतरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्तानुसार उक्त नामांतरकरण प्रथमदृष्टया विधिक रूप त्रुटिपुर्ण प्रतीत होता है।

- राजस्व ग्राम भल्लों का गुड़ा की वर्णित विवादित आराजीयात में उभपक्षों में विवाद की स्थिति के मध्येनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा दिनांक 15.06.2017 से निर्णय पारित करते हुए नामांतरकरण संख्या 180 निर्णय दिनांक 31.01.1967 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, गिर्वा को प्रतिप्रेषित कर उपभपक्षों का सुनकर निर्णय पारित करने का जो निर्णय किया है वह उचित प्रतित होता है।

- उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है, अतएवं अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के निर्णय दिनांक 15.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर